

स्थापना वर्ष – 1964

# शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटापारा



जिला – बलौदाबाजार – भाटापारा (छ.ग.)



## विवरण पुस्तिका

phone : 07726-220312, Fax : 07726-220312

Website : [www.gnapgcollege.in](http://www.gnapgcollege.in), E-mail : [govtgnapgcollege@gmail.com](mailto:govtgnapgcollege@gmail.com)

created by - leeleshwar sahu M.A. Eco.ll

शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटापारा



विवरण—पत्रिका

2024—25

**Governed By  
Department of Higher Education  
Government of Chhattisgarh**

**And**

**Affiliated to  
Pt. Ravishankar Shukla University,  
Raipur (C.G.)  
([www.prsuuniv.in](http://www.prsuuniv.in))**

**GOVT. G.N.A.P.G. COLLEGE, BHATAPARA (C.G.)**

Phone No.:07726-220312, Fax:07726-220312

Website: [www.gnapgcollege.in](http://www.gnapgcollege.in).

E-mail:govtgnapgcollege@gmail.com

## Published By:

**PRINCIPAL**

**GOVERNMENT G.N.A.P.G. COLLEGE,  
BHATAPARA (C.G.)-493118**

Phone No.:07726-220312, Fax:07726-220312

Website: [www.gnapgcollege.in](http://www.gnapgcollege.in)

E-mail:govtgnapgcollege@gmail.com

All copyrithgts reserved – Govt. G.N.A.P.G.College Bhatapara  
Dist.- Boloda Bazar – Bhatapara (C.G.)

**संकलनकर्ता**— प्रो. जितेन्द्र यादव, डॉ.शशिकिरण कुजूर

**प्रुफरीडर**— प्रो. मनीष सरवैया

**मुख्य टंकणकर्ता**— श्री घनश्याम यादव

**सह. टंकणकर्ता**— श्री बेनु जायसवाल

**आवरण पृष्ठ निर्माणकर्ता**— श्री लिलेश्वर साहू एम.ए.—द्वितीय सेमेस्टर अर्थशास्त्र



**डॉ. आनंद कुमार मिंज  
प्राचार्य**

### प्राचार्य की कलम से .....

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भाटापारा की ऐतिहासिक एवं गौरवशाली संस्था शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अपनी स्थापना से आज तक की 61 वर्षों की विकास यात्रा पूर्ण करते हुए प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है।

उच्च शिक्षा के प्रति उत्साही एवं लगनशील व्यक्तित्वों की संस्था "भाटापारा शिक्षा मंडल" द्वारा 4 सितम्बर 1964 को कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के रूप में स्थापित यह महाविद्यालय 50 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा पूर्ण करते हुए स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन कर रहा है। नगर के ऐसे अग्रणी लोगों में श्री राम नारायण शुक्ल, श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री बलराम भाई, श्री राधेश्याम पुरोहित, श्री ठाकुर परमेश्वर सिंह, श्री रामप्रताप चाण्डक, श्री माता दीन अग्रवाल, श्री गजानंद अग्रवाल, डॉ. एल. जीवनमल, श्री गुलाबचंद अग्रवाल, श्री शिव प्रसाद अग्रवाल आदि महानुभावों के सौजन्य से महाविद्यालय भवन व विषाल परिसर सामने आया। इसी कड़ी में ग्यारसी लाल अग्रवाल, हाजी नूर मोहम्मद, मोहम्मद याकूब जैसे नगर के कई दानदाताओं का अमूल्य सहयोग रहा। यह महाविद्यालय पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर का प्रथम संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय है, जिसका उद्घाटन करते हुए विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति डॉ. बाबूराम सक्सेना ने इस महाविद्यालय को अपने विश्वविद्यालय का प्रथम दत्तक पुत्र कहा था।

इस निजी महाविद्यालय को म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 01 जनवरी 1975 को शासनाधीन किया गया। महाविद्यालय में विज्ञान संकाय सन् 1982 से प्रारंभ किया गया। सन् 2007 में महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय की मान्यता प्राप्त हुई।

## शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटापारा

### **(1) महाविद्यालय का परिचयः—**

यह महाविद्यालय पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर (छ.ग.) से संबंध एवं मान्यता प्राप्त है। भाटापारा रेल्वे स्टेशन द.पू.म.रेल्वे मुबार्इ—कलकत्ता रेलमार्ग पर रायपुर एवं बिलासपुर रेलवे स्टेशन के बीच में स्थित है। स्टेशन से महाविद्यालय 02 किलोमीटर की दूरी पर है। यह संस्था 04 सिंतबर 1964 को स्थापित की गई थी। म.प्र. शासन ने इसे 01 जनवरी 1975 को शासनाधीन कर लिया तथा 1984 से विज्ञान संकायप्रारंभ किया गया है। वर्तमान में इस संस्था का नाम शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटापारा है।

### **(2) महाविद्यालय से संबंध तथा अध्ययन किये जाने वाले विषय**

यह महाविद्यालय पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि.रायपुर से निम्नलिखित संकायों, कक्षाओं एवं विषयों के लिए स्थायी संबंधित प्राप्त कर चुका है।

- (क) कला संकाय
- (ख) वाणिज्य संकाय
- (ग) विज्ञान संकाय

उपर्युक्त तीनों संकायों में स्नातक स्तर पर भाग-1, 2 एवं 3 तथा कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध कक्षाओं के लिए अध्यापन किया जाता है। साथ ही वर्ष 2012–2013 से पी.जी.डी.सी.ए. की संबंद्धता प्राप्त कर अध्यापन प्रारंभ किया गया है।

#### **(क) कला संकाय :**

##### **(1) बी.ए.— 465 (बी.ए.प्रथम सेमेस्टर में NEP 2020 लागू है)**

- (क) आधार पाठ्यक्रम हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा (अनिवार्य)
- (ख) पर्यावरण (अनिवार्य प्रथम वर्ष)
- (ग) हिन्दी साहित्य या अंग्रेजी साहित्य
- (घ) राजनीति शास्त्र या गृह विज्ञान इनमें से कोई तीन विषय ही लें सकेंगे।
- (ड) अर्थशास्त्र
- (च) इतिहास
- (छ) समाजशास्त्र—150
- (ज) भूगोल—60

##### **(2) एम.ए. हिन्दी साहित्य — 50**

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एवं महाविद्यालय में लागू विषय

##### **(3) एम.ए. अर्थशास्त्र — 50**

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एवं महाविद्यालय में लागू विषय

##### **(4) एम.ए. राजनीतिशास्त्र — 75**

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एवं महाविद्यालय में लागू विषय

##### **(5) अंग्रेजी साहित्य —30**

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एवं महाविद्यालय में लागू विषय

##### **(6) समाज शास्त्र—25**

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एवं महाविद्यालय में लागू विषय

**(ख) वाणिज्य संकाय :—**

**(1) बी.काम. — 285 (बी.कॉम.प्रथम सेमेस्टर में NEP 2020 लागू है)**

आधार पाठ्यक्रम हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा (अनिवार्य)  
पर्यावरण (अनिवार्य प्रथम वर्ष)  
कम्प्यूटर एप्लीकेशन (वैकलिप्क, स्ववित्तीय)  
विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एवं महाविद्यालय में लागू विषय

**(2) एम.कॉम. — 50**

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एवं महाविद्यालय में लागू विषय

**(ग) विज्ञान संकाय :—**

**(1) बी.एस.सी— (बी.एस.सी.प्रथम सेमेस्टर में NEP 2020 लागू है)**

(अ) आधार पाठ्यक्रम हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा (अनिवार्य)  
पर्यावरण (अनिवार्य प्रथम वर्ष)  
(ब) बायो समूह — 230 प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, बायोटेक्नोलॉजी  
(द) गणित समूह— 130 गणित, भौतिकशास्त्र, रसायन शास्त्र

**(2) एम.एस.सी. — रसायन शास्त्र — 75**

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एवं महाविद्यालय में लागू विषय

**(3) एम.एस.सी. — गणित — 50**

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एवं महाविद्यालय में लागू विषय

**(ग) कम्प्यूटर विज्ञान :—85**

पी.जी.डी.सी.ए.— (स्ववित्तीय) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एवं महाविद्यालय में लागू विषय।

**नोट :—**उच्च शिक्षा विभाग छ.ग.शासन के आदेशानुसार सत्र 2007–2008 से स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान के सभी विषयों का अध्यापन अंग्रेजी माध्यम से अनिवार्यतः कराया जावेगा। विद्यार्थी परीक्षा का माध्यम हिन्दी या अंग्रेजी के रूप में चयन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

## प्रवेश मार्गदर्शक सिद्धांत

### 1. प्रयुक्ति :—

- 1.1 यह मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। “प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है।

### 2. प्रवेश की तिथि :—

#### 2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :—

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु ऑनलाईन फार्म जमा कराया जावेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगे। ऑनलाईन आवेदन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि “ऑफलाईन” आवेदन जमा करना हो तो आवेदक के द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जाएंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।

#### 2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :—

1. स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 16 जून से 16 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 26 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 16 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से 15 जुलाई तक प्रारंभ होगा) परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके

पुत्र—पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जावे किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

### **विशेष टीप :-**

सत्र 2022–23 की प्रवेश प्रक्रिया में सी.बी.एस.सी./आई.सी.एस.सी. बोर्ड एवं अन्य बोर्ड जिनके परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुए हैं ऐसे आवेदक संबंधित बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के अंतर्गत प्रथम टर्म में प्राप्त अंक पत्रक की छायाप्रति संबंधित विद्यालय के प्राचार्य से हस्ताक्षर करवाकर अपलोड करेंगे। सी.बी.एस.सी./आई.सी.एस.सी. के ऐसे आवेदक जिनकों संबंधित विद्यालय द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पत्रक उपलब्ध नहीं करा रहे हैं ऐसे आवेदक प्रथम टर्म के अंकों के लिए वचन पत्र स्वयं/अभिभावक के हस्ताक्षर से अपलोड करेंगे। वचन पत्र असत्य पाये जाने पर प्रवेशित विद्यार्थी का प्रवेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा पढ़ा जावे।

### **स्पष्टीकरण :-**

आवेदक “क” ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान “ब” में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक “ख” ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

### **2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-**

विधि, संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र—छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

### **3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-**

- 3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगषाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट

की वृद्धि चाहते हैं, तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा “उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।”

- 3.2 सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।
- 3.3 स्नातक प्रथम वर्ष में NEP 2020 लागू है विस्तृत जानकारी हेतु क्यूआर कोड स्कैन करे –



#### **4. प्रवेश सूची :-**

- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहाँ अधिभार देय है, वहाँ अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिष्ठत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।
- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवध्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण—पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण—पत्र पर “प्रवेश दिया गया” की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।
- 4.3 निर्धारितशुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण—पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।
- 4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/- अषासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 26 अगस्त के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4.5 स्थानांतरण प्रमाण—पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण—पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ

पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट, जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

- 4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण—पत्र जारी करने के साथ—साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैंगिंग / अनुषासनहीनता / तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे, जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
- 4.7 छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38-1 दिनांक 10.09.2014 अनुसार “राज्य शासन, एतद द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक स्तर की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014-15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है।” का पालन किया जाए।

## 5. प्रवेश की पात्रता :-

### 5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धषासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

### 5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

(क) 10वीं एवं 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

### 5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :—

- (क) बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.—पूर्व/प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर, बी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.सी./एम.ए.—पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी.(Allowed To Keep Terms) के नियम:—

- (1) स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
- (2) स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

### 6. समकक्ष परीक्षा :—

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन काउंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10—12 की परीक्षाएं माध्यमिक षिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों, जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र—छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का षिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय—समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या षिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धसासकीय पत्र क्रमांक 1-52/2013(सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार – "जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्गमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च षिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनएसक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनएसक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित **10+12** षिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आषंका जताई है कि ऐसे छात्र, जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास **10+12** स्तर में व्यावसायिक विषय थे, वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हों, तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।"

## 7 बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

**7.1** स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.-सी./बी.एच.एस.-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वास्थ्य महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमण: द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वास्थ्य महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो, तो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिय जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।

**7.2** छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वषासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वषासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ—पत्र देना होगा। किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए, उसे प्रदेष के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

**7.3** विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

**8 अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा:-**

**8.1** 10+12 तथा स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

**8.2** स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी—केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

**8.3** विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिषत् पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

**8.4** उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

### **9 प्रवेश हेतु अर्हताएं :-**

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्रा को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र-छात्रा ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो, तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण—पत्र तथा शपथ—पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में आपाधिक प्रकरण चल रहे हों परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैंगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जॉच करवायें एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अषासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

**9.4 प्रवेश हेतु आयु-सीमा :-** आयुक्त कार्यालय के आदेश क्रमांक 1847/214/आउशि/सम./2021/दिनांक 24/08/2021 के तहत आयु सीमा के बंधन को समाप्त किया जाता है।

### **10 प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-**

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

- (क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिष्ठत अंकों के आधार पर तथा
- (ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो, तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग—अगल गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

## 11 प्रवेश हेतु प्राथमिकता :—

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे। आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिलों में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

## 12.आरक्षण—छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा:—

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा अर्थात् :—

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से बत्तीस (32%) प्रतिष्ठत् सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से बारह (12%) प्रतिष्ठत् सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से चौदह (14%) प्रतिष्ठत् सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पछात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विषेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिष्ठत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र—पुत्रियों तथा निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रूप से 3 प्रतिष्ठत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के प्राप्ताकों को 10 प्रतिष्ठत अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिष्ठत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीषन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे—स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिष्ठत  $1/2$  से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा  $1/2$  प्रतिष्ठत एवं एक प्रतिष्ठत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

- 12.7 जम्मू-कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिष्ठत् तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक 10 प्रतिष्ठत् की छूट प्रदान की जाएगी।
- 12.8 समय—समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।
- 12.9 कंडिका, 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अधीन रहेगा।
- 12.10 तृतीय लिंग के वयक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देष दिया गया है कि – “We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments.” का कड़ाई से पालन किया जाए।

### **13. अधिभार :—**

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत् पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण—पत्र प्रवेश आवेदन—पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन—पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण—पत्रों पर अभिर हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

#### **13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स**

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।

(क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. “ए” सर्टिफिकेट 02 प्रतिशत्

(ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. “बी” सर्टिफिकेट 03 प्रतिशत्

या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स

(ग) “सी” सर्टिफिकेट तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स 04 प्रतिशत्

(घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता 04 प्रतिशत्

में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को

(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ 05 प्रतिशत्

के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को

(छ) राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत
(ज) राष्ट्रपति स्काउट्स	10 प्रतिशत
(झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी.कैडेट	10 प्रतिशत
(य) ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	15 प्रतिशत
(र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन.सी.सी./एन.एस.एस. के तहतचयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	15 प्रतिशत
13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर	10 प्रतिशत
13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/विवज/रूपांकन प्रतियोगिताएँ :-	
(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केनद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-	
(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	02 प्रतिशत
(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	04 प्रतिशत
(2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय राज्य स्तर अथवा केनद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :	
(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	06 प्रतिशत
(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	07 प्रतिशत
(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	05 प्रतिशत
(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-	
(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को	15 प्रतिशत
(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को	12 प्रतिशत
(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्यरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक 10 प्रतिशत

कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को

13.5 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :—

(क) छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत

### **13.7 विशेष प्रोत्साहन :—**

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एषियाड/स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी षिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :—

(1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगी जिनहोंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

### **14 संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :—**

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय

में स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय / विषय / गुप्त परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय / संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

## 15 शोध छात्र :—

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय / प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुषंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.—डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाष लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण—पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लागू होगा।

## 16 विशेष :—

**16.1** जाली प्रमाण—पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रषासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवष यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया हैं, तब ऐसे प्रवेश को निस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुषासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय—समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

## महाविद्यालय में प्रवेश नियम एवं उप-नियम

(1) स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु ऑनलाईन पं. रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर के पोर्टल [www.prsuuniv.in](http://www.prsuuniv.in) में जाकर छात्र एवं छात्रायें पंजीयन करा सकेंगे। पंजीयन उपरान्त प्रातांक के गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश दिया जायेगा। दिये गए मार्गदर्शक सिद्धांत के तहत् पात्रता रखने वाले छात्र/छात्रायें महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं। महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र-छात्रायें पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को छोड़कर यदि छत्तीसगढ़ अथवा छत्तीसगढ़ के बाहर के विश्वविद्यालयों से परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रवेश हेतु आवेदन करते हैं, तो उन्हें संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, इसके पश्चात् ही प्रवेश दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर एवं सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली द्वारा संचालित 10वीं 12वीं परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को छोड़कर अन्य बोर्ड

अथवा प्री-डिग्री युनिवर्सिटी परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को भी पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही प्रवेश दिया जावेगा।

पात्रता प्रमाण पत्र हेतु उन्हें समस्त परीक्षाओं की अंक सूचियों तथा उपाधि प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित स्वच्छ फोटो प्रतियां विश्वविद्यालय भेजना होगा, आवेदन पत्र के साथ सेकेण्डरी तथा हायर सेकेण्डरी की अंक सूचियों की फोटो प्रति संलग्न करना आवश्यक है। उक्त आवश्यक कागजात के साथ फीस 40/- (चालीस रुपये मात्र) विलम्ब शुल्क लगेगा। जो नियमित छात्रों के लिए प्रवेश की तिथि समाप्त होते ही तथा अमहाविद्यालयीन छात्रों के लिए परीक्षा आवेदन पत्र पर जैसे ही विलम्ब शुल्क लागू होता है, उसी तिथि से विलम्ब शुल्क लागू होता है, उसी तिथि से विलम्ब शुल्क लागू हो जावेगा।

(2) सभी विद्यार्थी जो इस महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्ति के इच्छुक हो, अथवा वे उत्तीर्ण होकर आगामी कक्षा में प्रवेश पाना चाहते हो, इस विवरण पत्रिका के साथ संलग्न आवेदन पत्र को सम्पूर्ण रूप से भरकर कार्यालय में निष्चित तिथि तक प्रस्तुत करेंगे। अनुत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जावेगा। एक विषय में पूरक छात्रों को योग्यता के आधार पर भी प्रवेश दिया जा सकेगा। यदि विगत 3 वर्षों में कोई विद्यार्थी आंदोलन, हिंसा अथवा परीक्षा संबंधी अनुचित व्यवहार का दोषी हो तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(3) प्रवेश पाने के लिए आवेदक का आवेदन पत्र स्पष्ट और सुबोध अक्षरों में स्वयं ही भरा जाना चाहिए और समस्त आवश्यक सूचनायें दी जानी चाहिए। प्रमाण पत्र आदि एवं फोटो (यदि परिचय पत्र न हो तो) संलग्न कर संपूर्ण आवेदन-पत्र महाविद्यालय के कार्यालय में परीक्षाफल घोषित होने के बाद 15 दिवस के अन्दर या प्राचार्य द्वारा घोषित तिथि तक प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद प्राप्त आवेदन पत्र विचारार्थ तभी स्वीकार किये जावेंगे, जब स्थान रिक्त होगा। महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावेगी।

(4) शुल्क में संशोधन/समिति के निर्णयानुसार किया जा सकता है।  
विद्यार्थियों को निम्न शुल्क जमा करना होगा।

**शैक्षणिक सत्र 2022–23 के लिये लागू शिक्षण एवं अन्य शुल्क का विवरण**

छ.ग. बोर्ड के बाहर के विद्यार्थियों को अतिरिक्त रु. 360 माइग्रेशन शुल्क देय होगा।

S. No.	Class	Govt		Non-Govt			J.B.	Total	
		Boys (Gen/ OBC)	Girls/ Boys(SC/ST)/ Govt. Emp.	Other Non-Govt	Univ.	Total Non- Govt		Boys (Gen/ OBC)	Girls/ Boys(SC/ST)/ Govt. Emp.
1	B.A. Part-01/ B.Com.Part-01	120	5	494	270	764	700	1584	1469
2	B.A. Part-01 (Geography/Ho. Scie.)	140	25	594	270	864	700	1704	1589
3	B.Sc. Part-01	140	25	594	270	864	700	1704	1589
4	B.A. Part- 02/03/ B.Com. Part- 02/03	120	5	434	120	554	700	1374	1259
5	B.A. Part-02/03 (Geography/Ho. Scie.)	140	25	534	120	654	700	1494	1379
6	B.A. Part- 02/03/ B.Com. Part- 02/03 (Prv to Reg.)	120	5	494	270	764	700	1584	1469
7	B.A. Part- 02/03 (Geography/Ho. Scie.) (Prv to Reg.)	140	25	594	270	864	700	1704	1589
8	B.Sc. Part-02/03	140	25	534	120	654	700	1494	1379
9	B.Sc. Part-02/03 (Prv to Reg.)	140	25	594	270	864	700	1704	1589
10	M.A. I Sem/ M.Com. I Sem.	131	5	489	120	609	700	1440	1314
11	M.A. III Sem./ M.Com. III Sem.	131	5	449	120	569	700	1400	1274
12	M.A. I /M.Com. I Sem.(Prv to Reg.)	131	5	549	270	819	700	1650	1524
13	M.Sc. I Sem. (Chem./Maths)	161	35	639	120	759	700	1620	1494
14	M.Sc.III Sem. (Chem./Maths)	161	35	599	120	719	700	1580	1454
15	M.Sc. I Sem. (Chem./Maths) (Prv to Reg.)	161	35	699	270	969	700	1830	1704

छ.ग. बोर्ड के बाहर के विद्यार्थियों को अतिरिक्त रु. 360 माइग्रेशन शुल्क देय होगा।  
बी.कॉम. कम्प्यूटर एप्लीकेशन में प्रवेशित छात्र-छात्राओं को 3000 रु. अतिरिक्त शुल्क स्ववित्तीय योजना मद में देय होगा।

P.G.D.C.A. Fees Detail	Boys (Gen/OBC)	Girls/ Boys (SC/ST)/ Govt. Emp.	Boys (Gen/OBC) <b>Prv to Reg.</b>	Girls/ Boys (SC/ST)/ Govt. Emp. <b>Prv to Reg.</b>
<b>Govt. Fees</b>	<b>161</b>	<b>35</b>	<b>161</b>	<b>35</b>
<b>Non. Govt. Fees</b>	<b>719</b>	<b>719</b>	<b>869</b>	<b>869</b>
<b>Self Finance</b>	<b>13800</b>	<b>13800</b>	<b>13800</b>	<b>13800</b>
<b>J. B.</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Total</b>	<b>15380</b>	<b>15254</b>	<b>15530</b>	<b>15404</b>

## प्रवेश के समय संलग्न करने हेतु प्रपत्र

**इस महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदित ऑनलाईन आवेदन की हार्डकॉपी के साथ निम्न दस्तावेज अवश्यक संलग्न करें—**

- (1) इस महाविद्यालय में प्रवेश पाने के पूर्व जिस विद्यालय/महाविद्यालय में विद्यार्थी ने अध्ययन किया है, उस शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदत्त मूल स्थानांतरण प्रमाण—पत्र (Original Transfer Certificate) आवश्यक होगा, किन्तु इस महाविद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है।
- (2) पिछली परीक्षा के अंकसूची की एक प्रमाणित प्रति।
- (3) जन्म तारीख को प्रमाणित करने वाली दसवीं परीक्षा की अंकसूची की प्रमाणित प्रति।
- (4) अनु.जाति/अनु. जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विकलांग/बी.पी.एल./षासकीय सेवक से संबंधित होने के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
- (5) यदि विद्यार्थी ने स्वाध्यायी तौर पर परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो किसी राजपत्रित अधिकारी प्रदत्त सदाचार का प्रमाण पत्र (Good Conduct Certificate)।
- (6) बिना प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) के प्रवेश नहीं दिया जाएगा और यदि प्रवेश दिया गया, तो 15 सितम्बर तक प्रवजन प्रमाण पत्र न देने पर प्रवेश निरस्त समझा जायेगा।(पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के पत्र क्रमांक 1831 नामांकन/69 दिनांक 01/04/1996 के अनुसार)।
- (7) प्रवेशाधिकारी (Professor In-Charge Admission) प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक की संस्तुति।
- (8) एक फोटो (यदि परिचय पत्र न हो तो 2 फोटो)।
- (9) आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित छाया प्रति।

## (क) प्रवेशोपरांत आवश्यक निर्देश—

1. ऐसे विद्यार्थी जो किसी संस्थान/कार्यालय में कार्यरत है, वे अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। जिसमें यह भी स्पष्ट हो कि वे विद्यार्थी को महाविद्यालय को निष्प्रित समय पर अवकाश देने के लिए सहमत है।
2. विषय में परिवर्तन के लिए प्रवेश दिनांक से 14 दिन के पश्चात् कोई भी विद्यार्थी अपने अध्ययन के विषय में परिवर्तन नहीं करा सकेगा। इस अवधि के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन विषय परिवर्तन के लिए मान्य नहीं किया जाएगा। प्रवेश के बाद सेक्षन आंबटन में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
3. किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश की सूचना व्यक्तिगत् रूप से नहीं दी जावेगी। प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी को स्वयं इस विषय की जानकारी सूचना पटल (कार्यालय) से प्राप्त करनी होगी।
4. प्रत्येक विद्यार्थी को पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में अपना पंजीयन कराना आवश्यक है अन्यथा उनको विश्वविद्यालय परीक्षा में/स्वासी महाविद्यालय योजना के अंतर्गत ली जानी वाली परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी और इनके द्वारा देय महाविद्यालयीन कोई भी शुल्क वापस नहीं दिया जायेगा। महाविद्यालय इस प्रकार की किसी असावधानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
5. आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय या उसके पूर्व आवश्यक कागज पत्र और प्रमाण पत्रों के अभाव में कोई भी नकद/मनीआर्डर/चेक/ड्राफ्ट द्वारा धनराषि नहीं भेजना चाहिए।
6. प्रवेशार्थी से महाविद्यालयीन शुल्क उसी दषा में स्वीकार किया जा सकेगा, जब उसे प्राचार्य द्वारा प्रवेश संबंधी आदेष दिया जायेगा। शुल्क का भुगतान केवल नगद मान्य होगा।
7. शुल्क या किसी अन्य प्रकार की धनराषि यदि इस महाविद्यालय में किसी विद्यार्थी/व्यक्ति के द्वारा जमा की जाये तो उसकी रसीद नियमानुसार प्राप्त कर लेनी चाहिए अन्यथा महाविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

## (ख) विश्वविद्यालय अधिनियम में प्रावधान

छत्तीसगढ़ प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाये गए अध्यादेश क्रमांक 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय के छात्र-छात्रा के विरुद्ध अनुषासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राचार्य सक्षम है। अनुषासनहीनता के लिए उक्त अध्यादेश में निम्नानिंत दण्ड का प्रावधान है।

### (1) निलंबन

- (2) निष्कासन
- (3) विश्वविद्यालय परीक्षा जिसमें स्वेच्छासी परीक्षा भी शामिल हैं, में सम्मिलित होने से रोका जाना है।

### **(ग) शुल्क संबंधित अन्य नियम**

1. पी.एच.-डी. की उपाधि के लिए जो शोध छात्र इस महाविद्यालय में अनुसंधान कार्य करेंगे उनको नियमानुसार मासिक शुल्क जमा करना होगा। ऐसे विद्यार्थियों को छात्रावास की सुविधा नहीं दी जा सकेगी, परन्तु उनको सभी शुल्क आदि नियमित विद्यार्थियों की भाँति देने होंगे।
2. समय पर परीक्षा शुल्क जमा करना।
3. उपर्युक्त सभी शुल्क तथा अन्य धन राष्ट्रियों छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार है, भविष्य में जो भी निर्णय अथवा नियम छ.ग. शासन द्वारा लागू किया जाएगा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए वैधानिक रूप से मान्य होगा। इस संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।
4. प्रवेश अथवा महाविद्यालय छोड़ने की तिथि चाहे जो भी हो प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात् प्रत्येक विद्यार्थी को पूरे सत्र के लिए महाविद्यालय का शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। सत्र के बीच में महाविद्यालय छोड़ने पर शुल्क की वापसी नहीं होगी।
5. विद्यार्थी को चाहिए कि वे शुल्क जमा करने के प्रमाण स्वरूप सभी रसीदें संभाल कर रखें।
6. यदि विद्यार्थी बिना अनुमति के कक्षा में एक माह या उससे अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है, तो वगैर सूचना दिये उसका प्रवेश शुल्क – 10.00 रुपये छात्र/छात्रा पुनः प्रवेश हेतु आवेदन करने पर प्राचार्य की स्वीकृत पश्चात् निर्धारित दण्ड/शुल्क जमा करने के उपरांत पुनः प्रवेश तिदया जा सकेगा। छात्र के स्थानांतरण प्रमाण-पत्र लेने के बाद पुनः प्रवेश या परीक्षा में सम्मिलित होने की दशा में पंजीयन शुल्क 30.00 रुपये देना आवश्यक होगा।

### **(घ) शुल्क आदि संबंधित सुविधायें –**

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्य नियमों के अनुसार विद्यार्थियों को शुल्क आदि से निम्न सुविधायें प्रदान की गई हैं :

**(अ) 1. कृषकों को सुविधा**

**(I)** निम्न श्रेणी वाले कृषकों को पुत्र/पुत्री तथा पत्नी को अध्यापन शुल्क में एक तिहाई तक छूट दी जा सकती है उन्हें शेष दो तिहाई अध्यापन शुल्क देना होगा।

**(II)** कोई कृषक जो स्वयं खेतिहार हो अथवा अपने परिवार का पालन खेती के द्वारा ही करता हो और छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो तथा 300 रुपये से अधिक की मालगुजारी न देता हो अथवा अपने मालिक को इससे अधिक भाड़ा न देता हो। यह मालगुजारी रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और बिलासपुर जिलों में 200.00 रुपये से अधिक न होगा।

**(ब) खेतिहर श्रमिक अथवा खेतिहर कारीगर –**

उपर्युक्त सुविधा प्राप्त करने के लिए प्रार्थी को प्राचार्य के माध्यम से जिलाध्यक्ष को आवेदन देना होगा, जो महाविद्यालय के कार्यालय में 31 अगस्त तक निम्न प्रमाण पत्रों के साथ प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए।

1. विद्यार्थी के पिता की खेती द्वारा आमदनी का पटवारी के द्वारा प्रमाणित पत्र।
2. महाविद्यालय के कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र में भरकर प्रमाणित किया हुआ तहसीलदार द्वारा प्रमाण पत्र।
3. 31 अगस्त के पश्चात् प्रस्तुत किये जाने वाले इस प्रकार की सुविधा पाचुके हो उनको प्रतिवर्ष नये सिरे से प्रार्थना पत्र देना होगा।

**(स) भाईयों को दी जानी वाली सुविधा—**

यदि दो या अधिक भाई इस महाविद्यालय में एक ही सत्र में अध्ययन करते हैं तथा नियमित विद्यार्थी हों तो उनमें से सबसे बड़े को सम्पूर्ण शुल्क और शेष को केवल विकास शुल्क का आधा व अन्य शुल्क पूरा देना होगा। इस सुविधा को प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को चाहिए कि वे जितनी जल्दी हो सके इस हेतु प्रार्थना पत्र कार्यालय मे जमा कर दें और आवश्यक प्रमाण पत्र आदि किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित करके संलग्न कर दें।

**(द) अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को सुविधा—**

अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विकास शुल्क नहीं देना होगा। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित किसी राजपत्रित अथवा तहसील के राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया हो कि प्रार्थी अनुसूचित जाति अथवा जनजाति वर्ग का है, जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है। शुल्क संबंधित सुविधायें विद्यार्थी के अच्छे चाल चलन तथा

संतोषजनक प्रगति पर आधारित है। यदि विद्यार्थियों का चाल चलन अच्छा नहीं होगा या प्रगति संतोषजनक नहीं होगी तो शुल्क सुविधा वापस ले ली जायेगी।

### (ई) छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों को सुविधा—

1. स्नातक स्तर तक समस्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के सेवारत्/सेवानिवृत्त/मृत छ.ग. के शासकीय केवकों के बच्चों का षिक्षण शुल्क माफ होगा।
2. यह सुविधा प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने माता/पिता के कार्यालय के विभागीय प्रमुख से एक प्रमाण पत्र प्रवेश फीस देते समय प्रस्तुत करना होगा।
3. विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होने पर इस सुविधा से वंचित हो जावेगा। आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर अगली कक्षा में यह सुविधा उसे फिर से मिल सकेगी।
4. यह सुविधा अच्छे चाल चलन तथा संतोष जनक प्रगति पर निर्भर है। यदि विद्यार्थी हड़ताल/विध्वसंक कार्य/रैगिंग इत्यदि में भाग लेगा तो बगैर सूचना दिये ही यह सुविधा वापस ले ली जायेगी।
5. छात्राओं को स्नातकोत्तर स्तर तक षिक्षा शुल्क एवं विज्ञान शुल्क देय नहीं होगा।

### (प) छात्रवृत्ति योजना—

छात्रवृत्ति उच्च षिक्षा संचालनालय छ.ग. शासन से प्राप्त निर्देषों के अनुसार देय होगी।

### **महाविद्यालय की वार्षिक समय सारिणी**

प्राचार्य द्वारा समय-समय पर घोषित किये जाने के बाद सूचना पटल पर लगा दी जाती है। व्यक्तिगत रूप से इसकी जानकारी नहीं दी जाती है।

### **क्रीड़ा**

महाविद्यालय के छात्रों के बहुमुखी विकास का प्रयास किया जाता है अतः पाठ्यक्रम में उनकों पारंगत करने के साथ-साथ उन्हें विभिन्न खेलकूद एवं अन्य बातों का प्रषिक्षण दिया जाता है। महाविद्यालय में स्पोर्ट्स, (खेल-कूद) में फुटबॉल, बेडमिण्टन, टेबल-टेनिस, कैरम, बॉस्केट बॉल, क्रिकेट, शतरंज एवं एथलेटिक्स की सुविधा है।

## रेडकॉस

महाविद्यालय में रेड क्रास की यूनिट है जिसका पंजीयन क्रमांक 19/BB/01 जिसके अंतर्गत निःशुल्क ब्लड ग्रुप, एड्स परीक्षण, रक्तदान संबंधी गतिविधियां सम्पादित किये जाते हैं।

## राष्ट्रीय सेवा योजना(National Service Scheme)

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में 100 छात्रों एवं 50 छात्राओं का चयन किया जाता है। प्रथम वर्ष स्नातक छात्रों के एन.सी.सी. या एन.एस.एस. में दर्ज होना अनिवार्य है। उत्सुक छात्र छात्राएं निर्धारित आवेदन पत्र भरकर संबंधित अधिकारी के पास प्रस्तुत कर सकते हैं। एन.एस.एस. के अंतर्गत बी. एसं सी. प्रथम प्रमाध पत्र परीक्षाएं महाविद्यालय में आयोजित की जाती हैं।

## पुस्तकालय

महाविद्यालय के पुस्तकालय में लगभग **65000** पुस्तकें हैं, जिसमें बुक बैंक, यू.जी.सी. विज्ञान विषय स्कीम, जनभागीदारी, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले छात्रों के लिये स्कीम की पुस्तकें सम्मिलित हैं, साथ ही पुस्तकालय में विभिन्न विषयों पर शोध पत्र उपलब्ध है। महाविद्यालय में प्रमुख समाचार पत्र, साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं। छात्रों के लिये वाचनालय की सुविधा उपलब्ध है। फोटो कॉपीयर एवं इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

## विद्यार्थी सहायता निधि

महाविद्यालय में विष्व विद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार तथा नियमांतर्गत निर्धन विद्यार्थियों की सहायता के लिये निधि की स्थापना की गयी है। इस निधि से गरीब जरूरतमंद छात्रों को फीस एवं पुस्तक आदि क्रय करने के लिये सहायता प्रदान की जाती है सहायता राषि प्राप्त करने के लिये निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि सूचना पटल पर लगा दी जाती है।

## परिचय पत्र

महाविद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को परिचय पत्र रखना तथा मांगने पर उसे प्रस्तुत करना आवश्यक है। स्नेह सम्मेलन अथवा महाविद्यालय कार्यक्रम और कार्य व्यापर के समय यह परिचय पत्र विद्यार्थियों के पास होना चाहिये।

परिचय पत्र के पीछे छपी सूचनाओं का पालन करना आवश्यक है। जो विद्यार्थी परिचय पत्र विहीन पाये जायेंगे उनके विरुद्ध अनुषासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

## **CARRIER COUNSELLING AND PLACEMENT CELL**

The primary highlight of the Govt. G.N.A. PG. College Bhatapara is its career Counseling and Placement to Students the cell has infused hope and confidence in the mind of students. The functions under the partnership of the Principal. The most significant area of operation was placement campus, interview where organized for various organization the candidates joined as Executive Marketing and Operation Sale Executive Chemist and Communication and Executive, Marketing and Operation, Sales Executive Chemist and Communication Executive.

### **उपस्थिति संबंधी विश्वविद्यालय अधिनियम**

- (1) वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 75 प्रतिषत उपस्थिति अपनी कक्षाओं में प्राप्त करनी होगी अन्यथा उन्हें परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी। 75 प्रतिषत उपस्थिति एन.एस.एस. के लिये भी आवश्यक है। कार्य परिषद ने विद्या परिषद द्वारा अपनी बैठक दिनांक 10/11/1970 को निम्नलिखित संस्तुतियां स्वीकृत की। अध्यादेष 13 के अंतिम पैरा के बदले निम्नानुसार पैरा रखा जाये।

Provided also students of college representing in college or University in the recognized tournaments and extracurricular activities should be treated as present in classes during period of journey and participation in the tournaments & extracurricular activities and should be given attendance of all classes, theory and practical, held during this period.

उपरोक्त आदेष के अंतर्गत एतद उपस्थिति प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि विद्यार्थी उसी माह के अन्त तक संबंधित प्राध्यापक से संस्तुति प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा विद्यार्थी उपस्थिति प्राप्ति के हकदार नहीं होंगे।

- (2) जो विद्यार्थी किसी कारण से छुट्टी लेना चाहते हों अपना आवेदन समय से पूर्व प्रस्तुत करें जो उनके अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये जो विद्यार्थी बिना आज्ञा के अनुपस्थित रहेंगे उन पर अनुषासनात्मक कार्यवाही होगी।

### **आचरण संहिता**

1. छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरण: पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाह का भागीदार होगा।
2. जिन छात्रों का आचरण असंतोषजनक रहेगा अथवा जिनके प्रवेश से महाविद्यालय में असांति की आषंका होगी, उन्हें प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
3. विद्यार्थी महाविद्यालय में शालीन वेषभूषा में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेषभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिये। प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों में भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
4. महाविद्यालय की संपत्ति, भवन, पुस्तकालय, प्रयोगषाला आदि की शांति, सुव्यवस्था, सुरक्षा एवं स्वच्छता में प्रत्येक छात्र रुचि लेगा। इसके विपरीत किसी भी कुप्रवृत्ति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न तो भाग लेगा और न दूसरों को उकसायेगा। महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा। अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग, प्रदर्शन नहीं करेगा।
5. प्रत्येक विद्यार्थी अपने षिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सहपाठियों से नम्रता एवं भद्रतापूर्वक आचरण करेगा।
6. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है। वह सरल, निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा। महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का प्रयोग सर्वथा वर्जित रहेगा। महाविद्यालय में पान, गुटखा, तम्बाकू आदि खाकर/लेकर आना मना है। महाविद्यालय में इधन—उधर थूकना, दीवारों का गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी के सामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित पाये जाने पर कठोर कार्रवाई की जायेगी।

7. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन/हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं या समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
8. महाविद्यालय की प्रतिष्ठा और कीर्ति किस प्रकार बढ़े और उसमें किसी प्रकार का कलंक ना लगे ऐसा व्यवहार छात्रों द्वारा अनुषासन और संयम में रहकर करना चाहिए।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

### **अध्ययन संबंधी नियम**

- 01 प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की कम से कम 75 प्रतिष्ठत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
- 02 विद्यार्थी प्रयोगषाला में उपकरणों का उपयोग सावधानीपूर्वक करेगा उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगषाला को साफ सुधरा रखेगा।
- 03 ग्रंथालय के नियमों का पूर्ण पालन करेगा। उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकों निर्गमित होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड लगेगा।
- 04 अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिये वह शिक्षकों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
- 05 व्याख्यान कक्षाओं, प्रयोगषालाओं या वाचनालय में पंखे फर्नीचर इलेक्ट्रिकल्स आदि की तोड़-फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

### **परीक्षा संबंधी नियम**

- 01 विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं त्रैमासिक तथा अर्द्ध-वार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
- 02 अस्वथतावश आंतिरक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
- 03 परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गम्भीर दुराचार माना जायेगा।

## महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र

- 01 यदि विद्यार्थी किसी अनैतिक, गम्भीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
- 02 यदि विद्यार्थी रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षिक संस्थानों में प्रताडना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिये प्रेरित करने पर नियमानुसार दण्डित किया जा सकता है।
- 03 यदि विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
- 04 यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा। महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन में उसके पालक/अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के समक्ष करेगा।
- 05 स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेते समय (जब विद्यार्थी महाविद्यालय छोड़ रहा होगा) तब अमानती राष्ट्रीय उसे वापस कर दी जायेगी इस निधि की वापस के समय विद्यार्थी को संबंधित रसीद प्रस्तुत करनी होगी। यदि छात्र की अमानती राष्ट्रीय एक वर्ष तक नहीं ली जायेगी तो वह उसके पश्चात राजसात समझी जायेगी।
- 06 उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अधीन इस विवरण पत्रिका के किसी भी नियम/उप नियम अथवा किसी भी अधिनियम में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को है। प्राचार्य द्वारा विज्ञापित तथा प्रसारित सभी आदेश और निर्देश विद्यार्थियों पर समान रूप से अनिवार्यतः लागू होंगे।

### रैगिंग पर पूर्ण प्रतिबंध

#### **रैगिंग क्या है ?**

**रैगिंग के अन्तर्गत –**कोलाहलपूर्ण अनुचित व्यवहार करना, चिढ़ना, भद्दे या अशिष्ट आचरण करना, उपद्रवी एवं अनुशासनहीन क्रिया–कलापों में संलग्न रहना जिससे नये छात्र को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी, शारीरिक अथवा क्षति हो अथवा उसमें आषंका या भय बढ़ाने वाला हो अथवा छात्रों को कार्य करने के लिए कहना, जो छात्र/छात्रा सामान्यतया नहीं कर सकता/सकती ओर जिससे उसे शर्म या अपमान का अनुभव होता हो अथवा जीवन के लिये खतरा हो। उपद्रवी एवं अनुशासनहीन क्रिया–कलापों में संलग्न रहना जिससे नये छात्र को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी, शारीरिक अथवा मानसिक क्षति हो अथवा उसमें आषंका या भय बढ़ाने वाला हो अथवा छात्रों को कार्य करने के लिए कहना, जो छात्र/छात्रा सामान्यतया नहीं कर सकता/सकती ओर जिससे उसे शर्म या अपमान का अनुभव होता हो अथवा जीवन के लिये खतरा हो।

## छत्तीसगढ़ राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग रोकथाम अधिनियम, 2002

कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 (कर्नाटक अधिनियम नं. 1, 1995), अनुच्छेद 2(29) के अनुसार रैगिंग की परिभाषा इस प्रकार है :

किसी छात्र को मजाक में या अन्य किसी प्रकार से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, प्रेरित करना या बाध्य करना, जो मानव—मर्यादा के खिलाफ हो या जो उसके व्यक्तित्व के विपरीत हो या जिससे वह हास्यापद हो जाये या डरा—धमकाकर गलत ढंग से रोककर गलत ढंग से बंद करके चोट पहुंचाकर या उस पर अनुचित दबाव डालकर या उसे इस प्रकार की धमकी, गलत अवरोध, गलत ढंग से बंदी बनाने, चोट या अनुचित दण्ड, भय दिखाकर वैधानिक कार्य करने से मना करना।

### रैगिंग के स्वरूप :

रैगिंग निम्नांकित रूपों(सूची केवल निर्देषात्मक है, सम्पूर्ण नहीं) में पायी जाती है :

### स्पष्ट आदेश

- सीनियर छात्रों को “सर” कहने के लिए
  - सामूहिक कवायद करने के लिए
  - सीनियरों के क्लास—नोट्स उतारने के लिए
  - अनेक सोंपे हुए कार्य करने के लिए
  - सीनियरों के लिए भृत्योचित कार्य करने के लिए
  - अष्लील प्रष्ट पूछने या उनका उत्तर देने के लिए।
  - नये छात्रों को अपने सीधेपन के विपरीत आघात पहुंचाने हेतु अष्लील चित्रों को देखने के लिए
  - शराब, उबलती हुयी चाय आदि पीने के लिए बाध्य करना
  - कामुक संकेतार्थ वाले कार्य—समलैंगिक कार्य सहित करने के लिए बाध्य करना
  - ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य करना, जिससे शारीरिक क्षति, मानसिक पीड़ा या मृत्यु तक हो सकती है
  - नंगा करना, चुम्बन लेना आदि
  - अन्य अष्लीललतायें करना
- उपर्युक्त से विदित होता है कि प्रथम पांच छोड़कर अधिकतर रैगिंग के विकृत रूपों से युक्त है।

## रैंगिंग में लिप्त होने पर दिये जाने वाले दण्ड :

1. प्रवेश निरस्त किया जाना।
2. कक्षा / छात्रावास से निष्कासित किया जाना।
3. छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना।
4. परीक्षाओं से बंचित करना।
5. परीक्षा परिणाम रोकना।
6. राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय तथा युवा उत्सव में लेने पर प्रतिबंध।
7. संस्था से रेस्टीकेट किया जाना।
8. आर्थिक दण्ड रूपये 25000/- तक।

महाविद्यालय परिसर एवं छात्रावास में रैंगिंग घृणित एवं अमानवीय कार्य पर पूर्ण प्रतिबंध है। रैंगिंग में लिप्त पाये जाने वाले विद्यार्थियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। इसके अंतर्गत अपराधिक प्रकरण ने गिरफतारी जुर्माना या दोनों तथा महाविद्यालय और छात्रावास से निष्कासन एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर रोक लगायी जायेगी।

### शिकायत पेटी की व्यवस्था

महाविद्यालय के प्राचार्य कक्ष के समक्ष शिकायत पेटी रखी गयी है। इसमें निम्नलिखित विषयों संबंधित वास्तविक शिकायत कोई भी विद्यार्थी अपने नाम से अथवा बिना नाम से डाल सकता है।

- 01 महाविद्यालय अथवा छात्रावास में रैंगिंग गतिविधि/अशांति उत्पन्न करने वाला कोई कार्य अनुशासनहीनता पीने के पानी एवं सफाई विषयक।
- 02 कक्षाओं में फर्नीचर, विद्युत उपकरण, ब्लेक बोर्ड आदि विषयक।
- 03 संरक्षित निधि, छज्जत्रवृत्ति अन्य प्रमाण पत्र विषयक।
- 04 किसी कक्षा/वर्ग में अध्यापन नहीं होने विषयक एवं सुरक्षा प्रकोष्ठ की कार्यप्रणाली विषयक।
- 05 महाविद्यालय में कार्यालय की कार्यप्रणाली विषयक ऐसे पेटी में डाले जा सकते हैं जो महाविद्यालय की कार्यप्रणाली में सकारात्मक सुधार लायें।

### छात्रवृत्ति

1—राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों के आवेदन—पत्र छात्र—छात्राओं को छत्तीसगढ़ माध्यामिक शिक्षा मंडल/वि.वि.द्वारा उनके घर के पते पर योग्यता सूची के अनुसार भेजे जाते हैं। इन आवेदन पत्रों को छात्रों द्वारा संस्था प्रमुख के माध्यम से आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, छ.ग. शासन, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर रायपुर को भेजना चाहिये।

2—स्नातक छात्रवृत्तियां आयुक्त शिक्षा संचालनालय, छ.ग.शासन रायपुर द्वारा स्वीकृत की जाती हैं।

3—अन्य शेष सभी छात्रवृत्तियों के लिये आवेदन पत्र महाविद्यालय के माध्यम से आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर को निर्धारित तिथि पर भेजे जाने चाहिये।

4—बी.पी.एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति योजना महाविद्यालय में लागू है।

5—राष्ट्रीय छात्रवृत्ति को छोड़कर शेष सभी छात्रवृत्तियों हेतु आवेदन पत्र महाविद्यालय से प्राप्त हो सकेंगे।

6—महाविद्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु तिथियां महाविद्यालय द्वारा समय पर घोषित की जायेंगी।

## शासकीय सेवानिवृत्त एवं मृत शासकीय कर्मचारी

1— म.प्र./छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्र 2246232/7/20/9/72/दि 04.05.1972 के अनुसार प्रथम उपाधि स्तर तक समस्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त एवं मृत कर्मचारियों के बच्चे को शिक्षण शुल्क में पूरी छूट दी जायेगी।

**अन्य**—राज्य शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्र एफ-73/162/63/डी-42 दि 05.02.1977 के अनुसार दिसंबर 1971 के भारत पाक युद्ध में दिवंगत, घायल अथवा अपंग हुये सैनिक अधिकारियों की विधवा पत्नियों एवं बच्चों को 1962 में भारत चीन युद्ध तथा 1965 के भारत पाक युद्ध में दिवंगत, घायल अथवा अपंग सैनिक अधिकारियों की विधवा पत्नियों एवं बच्चों को भी नियमानुसार जिलाधीश का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शिक्षण शुल्क आदि में सुविधाएं प्रदान की जा सकेगी। शिक्षण शुल्क में सुविधा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने अनुशासन झंग करने, अध्ययन क्रम असंतोषजनक गति की दशा में, गलत आचरण पाये जाने पर, किसी आंदोलन या हड्डताल में भाग लेने आदि के कारण उक्त सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है। इन सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु विद्यार्थी को आवेदन पत्र देना अनिवार्य है।

**टीप**—राज्य शासन के आदेश क्र 228/9599/20/5 दि 06.01.1967 के अनुसार निम्न वर्ग के कर्मचारियों के बच्चों के आदेश क्र 2246/3237/20/5 दि 06.01.1967 के अनुसार निम्न वर्ग के कर्मचारियों के बच्चों को आदेश क्र 2246/3237/20-9/72 दि 04.05.1973 के अंतर्गत शिक्षण शुल्क में छूट नहीं दी जाती है।

- 1— केन्द्रीय शासन कर्मचारियों के बच्चों को।      2. बैंक कर्मचारियों के बच्चों को।
- 3— नगर पालिका कर्मचारियों के बच्चों को      4—ग्रामपंचायत के कर्मचारियों के बच्चों को
- 5— स्वयंशासी संस्था के कर्मचारियों के बच्चों को।

### शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटापारा (छ.ग.)

#### अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

क्र.	नाम	धारित पद	मोबाइल नम्बर
1	डॉ. आनन्द कुमार मिंज	विभागाध्यक्ष—अंग्रेजी	9827196638
2	श्री अशोक वर्मा	विभागाध्यक्ष—वाणिज्य	8224022023
3	श्री जितेन्द्र यादव	सहा.प्राध्यापक—वनस्पतिशास्त्र	9424215466
4	डॉ. शशिकिरण कुजूर	विभागाध्यक्ष—अर्थशास्त्र	9827917671
5	श्री मनीष कुमार सरवैया	सहा.प्राध्यापक—वाणिज्य	7587201101
6	श्री गुप्तेश्वर साहू	सहा.प्राध्यापक—वाणिज्य	9926116581
7	श्री राजेश कुमार	विभागाध्यक्ष—हिन्दी	7587158968
8	डॉ. प्रीति सोनी	सहा.प्राध्यापक—रसायनशास्त्र	9907176499
9	डॉ. विकास गुलहरे	विभागाध्यक्ष—भौतिकशास्त्र	9827883758
10	श्री रोहन अग्रवाल	सहा.प्राध्यापक—वाणिज्य	9039799422
11	श्री संतोष कुमार बंजारे	सहा.प्राध्यापक—समाजशास्त्र	7587054796
12	सुश्री इंद्राणी मरकाम	सहा.प्राध्यापक—अर्थशास्त्र	8719949454
13	डॉ. राजन तिवारी	सहा.प्राध्यापक—राजनीतिशास्त्र	8871737111
14	श्रीमती ऋतम्भरा चौहान	सहा.प्राध्यापक—बायोटेक	9522558385

15	डॉ. दीपिका त्रिपाठी	सहा.प्राध्यापक—वनस्पतिशास्त्र	7607357513
16	डॉ.सुमित पंत	सहा.प्राध्यापक—गणित	8954989565
17	डॉ. दीपक कुमार यादव	सहा.प्राध्यापक—भौतिकशास्त्र	9079192900
18	श्री राजेश शर्मा	छात्रावास अधीक्षक	9926144485
19	श्री अर्जुन सिंह ठाकुर	सहायक श्रेणी—1	7987064141
20	श्री टोपेन्द्र परगनिहा	सहायक श्रेणी—2	9993503176
21	श्री आदित्य मिश्रा	सहायक श्रेणी—3	8236071098
22	श्री परमानन्द साहू	भृत्य	8085994364
23	श्री उमाकांत कुर्रे	भृत्य	9754178572
24	श्री राम दुलार साहू	बुक लिफ्टर	9754772080
25	श्री हुमुक विश्वकर्मा	ग्रंथालय सहायक (ज.भा.)	----
26	श्री घनश्याम यादव	कम्प्यूटर ऑपरेटर (ज.भा.)	----
27	श्री बेनु जायसवाल	कम्प्यूटर ऑपरेटर (ज.भा.)	----
28	श्री अभिषेक यादव	कम्प्यूटर ऑपरेटर (स्व.वित्तीय)	----
29	श्री संकेत इंदवार	लेखा लिपिक (स्व.वित्तीय)	----
30	श्री रंजीत कुमार	प्रयोगशाला तकनीशियन (ज.भा.)	----
31	श्री तरुण कुमार वर्मा	प्रयोगशाला तकनीशियन (ज.भा.)	----
32	श्री मनीष चतुर्वेदी	प्रयोगशाला तकनीशियन (ज.भा.)	----
33	श्री नीलेश कुमार	प्रयोगशाला परिचारक (ज.भा.)	----
34	श्री सुब्बूदास मानिकपुरी	ग्राउन्ड मेन (ज.भा.)	----
35	श्री जोहन लाल निषाद	सायकल स्टैण्ड मेन (ज.भा.)	----
36	श्री पंचराम जायसवाल	फर्राश (ज.भा.)	----
37	श्रीमती गौतमी कुर्रे	सफाईकर्मी(ज.भा.)	----
38	श्रीमती लता	सफाईकर्मी (ज.भा.)	----
39	श्री परमेश्वर वर्मा	इलेक्ट्रीशियन (ज.भा)	----
40	श्रीमती रेखा डाकोर	सफाईकर्मी (ज.भा.)	----
41	श्री मुकेश महतो	माली (ज.भा.)	----
42	श्री योगेश कुमार	स्वीपर (ज.भा.)	----
43	श्री द्वारिका बंजारे	चौकीदार (ज.भा.)	----
44	श्री अक्षय डोन्डे	चौकीदार (ज.भा.)	----
45	श्रीमती विमला देवांगन	सफाईकर्मी (ज.भा.)	----
46	श्री सोनू देवांगन	सायकल स्टैड मेन(ज.भा.)	----



Shot on OnePlus  
Bhatapara, Raipur Division | 2024.11.14 15:12



Shot on OnePlus  
Bhatapara, Raipur Division | 2024.11.14 12:26



Shot on OnePlus

2024.11.14 12:34



Shot on OnePlus


2024.11.08 16:39













**GOVT. G.N.A.P.G. COLLEGE BHATAPARA (C.G.)**

**I-DAY EXTENSION LECTURE**  
**ON**  
**BASIC OF MATHEMATICS AND**  
**RESEARCH TRENDS**  
**23 FEBRUARY 2023**  
**AT**  
**1:00PM-2:00PM**  
**IQAC Co-Ordinator**

**Patron**  
Dr.(Mrs). Vinod Sharma  
Principal  
Govt.G.N.A.P.G. College Bhatapara

**Eminent Speakers**  
Mr. —Subham Dhoria  
Assistant Professor Mathematics  
Govt. Engineer Vishweshwaraya  
P.G. college Korba

Mr. Shri Jitendra Yadav  
Assistant Professor- Botany  
Govt G.N.A.P.G. college Bhatapara

Incharge Mathematics  
Dr.Vikas Gulhare  
Assistant Professor& HOD Physics  
Govt G.N.A.P.G. college Bhatapara

**Co-Ordinator**  
Miss-Shruti Shukla  
Guest Faculty- Mathematics  
Govt G.N.A.P.G. College Bhatapara

**Organizing Secretary**  
Vinay Dewangan  
Guest Faculty- Mathematics  
Govt G.N.A.P.G. College Bhatapara

**Organised By**  
Department Of Mathematics Govt G.N.A.P.G. College Bhatapara









Bhatapara, Chhattisgarh, India

Sant Mata Karma Ward, Gurunanak Ward, Bhatapara, Chhattisgarh 493118,  
India

Lat 21.746434°

Long 81.948926°

04/12/21 01:24 PM



## छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्र. 27 सन् 2001)

### छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना का प्रतिषेध

- रैगिंग एवं दंडनीय अपराध है।
- रैगिंग मानवीय मूल्यों का हनन है।

#### **रैगिंग में निम्नलिखित का समावेश है**

- मजाकपूर्ण व्यवहार।
- किसी बात के लिए बाध्य करना।
- व्यक्तित्व का अपमान या उपहास।
- दोषपूर्ण अवरोध।
- दोषपूर्ण परिरोध।
- क्षति या आपराधिक बल का प्रयोग।
- आपराधिक धमकी।
- विद्यार्थी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से रैगिंग में भाग नहीं लेगा।

#### **रैगिंग के लिये दंड**

- 5 वर्ष का कारावास।
- रु. 5000 जुर्माना।
- दोनों प्रकार के दंड।